रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1983/वैशाख 10, 1905

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983/VAISAKHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1983

सा.का.नि. 338 :—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श से, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 में नियम 3 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) जहां सेवा का कोई ऐसा सदस्य, जिसे परिवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है, सेवा से त्यागपत्र देता है या उसके अनुरोध पर ड्यूटी पर वापस आए बिना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है, वहां परिवर्तित छुट्टी अर्ध वेतन छुट्टी समझी जाएगी और परिवर्तित छुट्टी तथा अर्ध वेतन छुट्टी के सम्बन्ध में छुट्टी वेतन के बीच के अन्तर को वसूल किया जाएगा।

परन्तु यह कि ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी यदि सेवानिवृत्ति, ऐसे खराब स्वास्थ्य के कारण, जो सेवा के सदस्य को आगे सेवा के लिए असमर्थ बनाता है, या उसकी मृत्यु होने पर, हुई है।"

[संख्या 11019/24/81-ए.आई.एस.(3)]

बी. आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(Department of Education)

New Delhi, the 6th April, 1983

G.S.R. 348.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Hindi Directorate (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1982, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Hindi Directorate (Administrative Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Central Hindi Directorate, (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1982, in column 3, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service,

Group 'B' Gazetted (Ministerial)."

[No. F. 5-10/81-D.II(L)]
V. K. VAID, Desk Officer.

N.B.—Principal Rules were notified vide G.S.R. No. 455 dt. 15-5-82.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1983

सा.का.नि. 349.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी में पैकर/मजदूर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (पैकर/मजदूर) भर्ती नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
पैकर/मजदूर	9	साधारण सिविल सेवा समूह "घ" अराजपत्रित	196-3-220 द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18—25 वर्ष टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	आवश्यक : पार्सलों को पैक करने और खोलने तथा पार्सलों को भेजने का कुछ अनुभव । वांछनीय हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की योग्यता रखता हो ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति /भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय, प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (प्रारंभिक प्रक्रम पर रिक्तियां ऐसे आकस्मिक श्रमिकों में से भरी जाएंगी जो विविध भारती सेवा में कार्य कर रहे हैं और समय समय पर जारी किए गए सरकारी अनुदेशों के अनुसार समूह 'क' पदों पर नियमित किए जाने के लिए पात्र हैं)।	लागू नहीं होता	(1) केन्द्र/कार्यालय प्रधान —अध्यक्ष (2) सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर (जहां सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर कार्यालय केन्द्र इंजीनियर का प्रधान है, वहां कार्यक्रम निष्पादक/सहायक इंजीनियर) —सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान लिपिक —सदस्य	लागू नहीं होता

[संख्या 11/52/81-एस 2]

जगमोहन लाल माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th April, 1983

G.S.R. 349.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Packer/Mazdoor in the All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Packer/Mazdoor) Recruitment Rules 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;

OR

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories, in accordance with the orders, issued to the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classifications	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Packer/Mazdoor.	9	General Civil Service, Group D, Non-gazetted.	Rs. 196-3-220 EB-3-232.	Not applicable.	18—25 years. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are requested to foward nomination.	Essential: Some experience of packing and unpacking of parcels and despatching of parcels. Desirable: Ability to read and write Hindi and English.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion deputation transfer, grades from which promotion deputation transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment 100% (In the initial stage the vacancies will be filled up from amongst the casual labourers who have been working in the Vivid Bharti Service and are eligible for regularisation in Group D posts in terms of Government Instructions issued from time to time.	Not applicable.	(i) Head of Stations/-Offices— Chairman. (ii) Assistant Station Director/Assistant Station Engineer/-(Programme Executive Assistant Engineer where Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer is the head of office —Member. (iii) Administrative Officer Headclerk —Member.	Not applicable.

[No.11/52/81-S.II/B(A)]

J.L. MATHUR, Under Secy.

पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1983

सा.का.नि. 350.—संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 के उप खण्ड 5 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता तथा इसके अन्य यूनिटों में वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रोनिक्स) के पद के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :—(1) ये नियम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता, वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रोनिक्स) भर्ती नियम, 1983 कहे जायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे ।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के साथ लगी अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि :—उक्त पद के सम्बद्ध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और तत्संबंधी अन्य बातें वे होंगी जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित है, अथवा,